राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट–2 कार्यक्रम के अंतर्गत सुधा होल–डे मिल्क पार्लरों का पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप (पी.पी.पी.) मोड पर आवंटन एवं संचालन प्रक्रिया हेतु नियम व शर्तें।

1.00 सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन का उद्देश्य एवं प्रक्रिया:–

1.01 सात निश्चय पार्ट–2 कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, पटना (कॉम्फेड) के द्वारा मिल्क पार्लरों का निर्माण पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मोड के तहत् आवेदनकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं के जमीन पर विकसित किया जायेगा। प्रत्येक दुग्ध पार्लरों के आधारभूत संरचना के विकास यथा प्रि–फैब्रिकेटेड मिल्क बुथ, डीपफ्रिजर, पुश कार्ट एवं विद्युत फिटिंग व साज–सज्जा हेतु कॉम्फेड के द्वारा रू0 5,00,000/– (पाँच लाख) कॉम्फेड द्वारा वहन किया जायेगा।

2.00 पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मोड के तहत् सुधा मिल्क पार्लर का आवंटन:–

2.01 पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मोड के तहत् सुधा मिल्क पार्लर विकसित किये जायेंगे।

3.0 <u>चयन प्रक्रिया एवं निविदा आमंत्रणः—</u>

3.01 पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मोड के तहत् सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा की सूचना, कॉम्फेड के वेबसाईट <u>www.sudha.coop</u> तथा प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से की जायेगी।

3.02 सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन पत्र एवं आवेदन भरने संबंधित सभी आवश्यक जानकारी, दिशा निर्देश एवं नियम व शर्तें कॉम्फेड की वेबसाइट <u>www.sudha.coop</u> दिये गये लिंक पर उपलब्ध रहेगा।

4.0 <u>पात्रता मापदंडः</u>—

4.01 शैक्षणिक योग्यता :— न्यूनतम 10वीं पास (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।

4.02 आवेदक के नाम पर न्यूनतम 15′X15′ माप का स्थल जो संबंधित जिले के बाजार क्षेत्र में हो, जिसे कॉम्फेड को 10 वर्षों के अनुबंध पर शुन्य रेन्टल पर अनुबंध की तारिख से पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मोड के तहत सुधा मिल्क पार्लर के विकास हेतु देना होगा।

4.03 आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। आवेदक का निर्गत निवास प्रमाण पत्र सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट या उनके ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है।
(प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।

4.04 उम्रः– निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम–21 वर्ष एवं अधिकतम–60 वर्ष।

4.05 आधार कार्ड संख्या :–
(प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें)।

4.06 स्व घोषणा प्रमाण पत्र (आवेदक द्वारा 100 रूपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर स्वधोषित प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्न करना होगा जिसमें आवेदक के द्वारा घोषित किया जायेगा कि उनके या उनके परिवार का कोई भी सदस्य सुधा मिल्क पार्लर का आवंटी नहीं है एवं वे या उनके परिवार का कोई सदस्य बिहार मिल्क को–ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लि0, पटना या कॉम्फेड से संबंद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत नही हैं)।

4.07 वित्तीय योग्यता :– व्यवसाय हेतु न्यूनतम कार्यशील पूँजी रू0 1,00,000/– होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा– फिक्सड डिपोजिट या संबंधित

राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्न करें।

4.08 आवेदक को किसी प्रकार का संक्रमण रोग न हो इसके लिए किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।

4.09 सफल उम्मीदवार को आवंटन आदेश जारी होने के उपरांत, कार्य प्रारंभ करने से पहले सुरक्षा राशि रू 2,00,000/– (दो लाख रू) (वापसी योग्य) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा एवं एकरारनामा करना होगा। सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

4.10 आवेदन शुल्कः– : रू 1000/– (गैर–वापसी योग्य)

4.11 आवंटन आदेश के उपरांत आवंटी को एक माह के भीतर पैन कार्ड एवं FSSAI प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराना होगा।

5.0 स्थल के चयन संबंधित नियम व शर्तेः–

5.01 आवेदक के पास सुधा पार्लर के निर्माण हेतू स्वयं का जमीन होना आवश्यक है। इस व्यवस्था के तहत आवेदक के पास आवेदन की तिथि के अनुसार कॉम्फेड को पट्टे के लिए प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व स्थापित करने हेतु निम्न दस्तावेज, जैसेः–

(क) खसरा/खतौनी या अन्य समकक्ष राजस्व दस्तावेज या राजस्व अधिकार से प्रमाणित दस्तावेज जो भूमि के स्वामित्व की पुष्टि करता हो।

(ख) पंजीकृत बिक्रीनामा/पंजीकृत उपहार विलेख (Registered Gifted Deed)

(ग) अन्य प्रकार का स्वामित्व/हस्तांतरण विलेख (Deed) दस्तावेज।

5.02 संवेदक/संचालक को कॉम्फेड/कॉम्फेड की इकाई/कॉम्फेड से सम्बद्ध दुग्ध संघ के साथ एकरारनामा संपादित करना होगा।

5.03 संचालन हेतू सुधा पार्लर का पट्टा (Lease) न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए होगा तथा इस अवधि के दौरान (Lease) पट्टे पर ली गयी भूमि को बेचा नहीं जा सकता है।

5.04 पात्रता मानदंड के तहत् बिन्दु सं0 4.01 से 5.01 तक अनिवार्य (बिन्दु संख्या 4.09 एवं 4.11 को छोड़कर) सभी पात्रता मानदंड शर्तों को पुरा करना होगा। बिन्दु संख्या 4.09, 4.11 एवं 5.02 का मानदंड कार्य आवंटन जारी होने के उपरांत ससमय पूरा करना अनिवार्य है। असफल उम्मीदवारों का आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

6.0 चयन प्रक्रिया :

(क) निविदा की निर्धारित तिथि के बाद, आवेदन प्रपत्रों की जाँच कॉम्फेड, मु0 में नामित समिति द्वारा की जायेगी।

(ख) प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जाँच के उपरांत कॉम्फेड द्वारा गठित समिति सुधा मिल्क पार्लर के निर्माण के लिए भूमि की उपयुक्तता का सत्यापन करेगी। भूमि चयन हेतु मुख्य मानदंड उसका स्थान होगा जहाँ लोगों की आवाजाही अधिक हो एवं स्थल तक पहूँचना सर्वसुलभ हो।

(ग) भूमि की उपयुक्तता समिति की अनुशंसा एवं आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर सुधा मिल्क पार्लर के विकास हेतु अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

7.0 <u>सुधा मिल्क पार्लर के निर्माण/संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रियाः—</u>

7.1 बिक्री हेतु पार्लर के संचालन का समय सुबह 06:AM से रात्रि 9:PM तक निर्धारित रहेगा।

7.2 पार्लर संचालक को मार्ग प्रभारी द्वारा निर्धारित किये गये समय के अनुसार दूध/दुग्ध उत्पाद प्राप्त करना होगा।

7.3 प्रत्येक पार्लर काम्फेड के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा, जिसका प्रबंधन संघ/इकाई से संबंधित विपणन क्षेत्रों के अन्तर्गत किया जायेगा। सुधा मिल्क पार्लर को उपलब्ध कराये गये सारे सम्पतियों का अधिकार कॉम्फेड, पटना का होगा।

7.4 पार्लर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने एवं सुधा बांड की पहूँच बढ़ाने हेतु प्रत्येक सुधा मिल्क पार्लर का बिक्री लक्ष्य बाजार क्षमता को ध्यान रखते हुए संबंधित संघ/कॉम्फेड इकाई द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

7.5 अंतिम रूप से चयनित/आवंटी उम्मीदवार को सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की अधिकतम रेंज रखनी होगी। किसी अन्य उत्पाद या ब्रांड के उत्पादों को तब तक

नहीं रखा जा सकता जब तक की उसे विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है।

7.6 पार्लर के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र के लिए संबंधित संघ/कॉम्फेड की इकाई/पी.एम.सी. की इकाई द्वारा नियुक्त वितरक के माध्यम से दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जायेंगे।

7.7 दूध और दुग्ध उत्पादों का भुगतान संबंधित वितरक को अग्रिम रूप में किया जायेगा।

7.8 कॉम्फेड द्वारा प्रदान की गयी निर्धारित दर पर दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री की जानी चाहिए तथा सभी पार्लरों को पार्लर के सामने एम.आर.पी. की सूची प्रदर्शित करनी होगी।

7.9 चयनित संवेदक/संचालक द्वारा पार्लर परिसर के पास साफ–सफाई एवं कचरा पेटी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

7.10 इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपकरणों की समय–समय पर सर्विसिंग/रख रखाव संवेदक/संचालक द्वारा किया जायेगा तथा इससे संबंधित किसी भी प्रकार का खर्च आवंटी/संचालक को वहन करना होगा।

7.11 चयनित संवेदक/संचालक द्वारा पार्लर परिसर के समीप अस्थायी स्टॉल का निर्माण कर किसी अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं है।

7.12 विशेष अवसरों हेतु, संवेदक/संचालक को अपने संबंधित वितरकों को अधिक माँग के लिए अग्रिम रूप से सूचित करना होगा।

7.13 पार्लर किसी भी दिन बन्द नहीं होनी चाहिए। यद्यपि परिस्थितियाँ असामान्य होने पर संबंधित प्राधिकारी को पूर्व मे सूचना प्रदान की जायेगी।

7.14 दूध और दुग्ध उत्पादों की डिलीवरी लेते समय संवेदक/संचालक द्वारा प्राप्त वस्तुओं की गुणवता और मात्रा की जाच अवश्य करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

7.15 चयनित संवेदक/संचालक ग्राहकों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद पहूँचाने के लिए होम डिलीवरी व्यक्ति व पुश कार्ट व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का वेतन संवेदक/संचालक को हीं प्रदान करना होगा।

7.16 संवेदक/संचालक सुधा मिल्क पार्लर के बेहतर संचालन हेतु अधिकतम दो सेल्स मैन को नियुक्त कर सकती है जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। सेल्स मैन का वेतन संवेदक/संचालक को हीं प्रदान करना होगा।

7.17 संवेदक/संचालक को उन वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन सुनिश्चित करना होगा जिन्हें कम और विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। संवेदक/संचालक को सभी उत्पादों की अधिकतम बिक्री करने का प्रयास करना होगा।

7.18 संबंधित क्षेत्र वितरक के द्वारा यदि संवेदक/संचालक को किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण दर पर सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जाते हैं या संबंधित क्षेत्र संचालक के संबंध में कोई शिकायत हो तो ऐसे मामलों को संवेदक/संचालक द्वारा संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड के संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाया जायेगा।

8.0 **<u>रखरखाव एवं अन्य शुल्कों का भुगतान</u>**:–

8.1 संवेदक/संचालक को संबंधित प्राधिकरण से FSSAI नियमों के अनुसार व्यापार लाईसेंस एवं खाद्य लाईसेंस प्राप्त करना होगा जिसे रिकार्ड हेतु संघ/इकाई को इसकी छाया प्रति जमा करना होगा।

8.2 संवेदक/संचालक वास्तविक खपत बिजली बिल किराया, पानी शुल्क तथा अन्य वैद्यानिक खर्च प्रत्येक माह समय पर जमा करना होगा एवं बिल की छाया प्रति संबंधित संघ/कॉम्फेड की इकाई को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा।

8.3 संवेदक/संचालक को पार्लर के अन्दर उपलब्ध सम्पति के साथ पार्लर भवन का बीमा कराना चाहिए तथा बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित प्रीमियम समय पर जमा करना होगा। बीमा रसीद का प्रमाण संबंधित संघ/ कॉम्फेड की इकाई को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा।

8.4 पार्लर संवेदक/संचालक द्वारा अधिकतम डिजिटल भुगतान के माध्यम से उत्पादों की खरीद/बिक्री की जानी चाहिए।

9.0 <u>सुधा मिल्क पार्लर का समापन</u>:–

9.1 अनुबंध प्रारंभ में दस वर्ष के कार्यकाल हेतु किया जायेगा। प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल दस वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो समझौता निरस्त कर दिया जायेगा एवं पार्लर

दूसरे पक्ष को आवंटित कर दिया जायेगा तथा अनुबंध की अवधि तक पार्लर संवेदक/संचालक अपनी भूमि की बिक्री नहीं कर सकता।

9.2 यदि चयनित संवेदक/संचालक के द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किया जाता है या जुर्माना अथवा चेतावनी पत्र देने के बाद भी यदि कार्य में सुधार नहीं पाया जाता है तो निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित राशि को जब्त करते हुए अनुबंध समाप्त किया जा सकता हैः–

(क) बिक्री प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर ।

(ख) यदि संवेदक/संचालक द्वारा कॉम्फेड से सूचीबद्ध उत्पादों के आलावा अन्य उत्पादों की बिक्री करते हुए पायी जाती है।

(ग) यदि संवेदक/संचालक द्वारा ग्राहकों के साथ नियमित दुर्व्यवहार करते हुए पायी जाती है।

(घ) यदि संवेदक/संचालक द्वारा पार्लर को उप–पट्टे (sublet) पर देते हुए पायी जाती है।

(ड.) यदि संवेदक/संचालक द्वारा सुधा उत्पादों को निर्धारित दर से अधिक दर बिक्री करते हुए पायी जाती है।

(च) यदि संबंधित संघ/कॉम्फेड की इकाई को बिना किसी पूर्व सूचना के पार्लर को बंद पाया जाता है।

9.3 संघ/इकाई/कॉम्फेड प्रबंधन पार्लर संचालक को नोटिस अवधि दिये बिना समझौते को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि संघ/इकाई को ज्ञात होता है कि संवेदक/संचालक कार्य/आवंटन की समाप्ति की प्रक्रिया के दौरान संघ/इकाई/कॉम्फेड अथवा ग्राहक के हित के विरूद्ध कार्य कर रहा हो।

9.4 कॉम्फेड को स्वतंत्र रूप से पार्लर संचालक के विरूद्ध कारवाई करने का अधिकार सुरक्षित होगा, यदि यह पाया जाता है कि संचालक कॉम्फेड के व्यवसायिक हित के विरूद्ध कार्य कर रहा है।

9.5 सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु औपचारिक समझौता का निष्पादन किया जाता है।